

बिहार सरकार  
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, वि०प्र०सै०,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-04/5/2026.

XX  
अनौपचारिक  
रूप से

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 5,000.00 लाख (रुपये पचास करोड़) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य स्कीम के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों के साथ सपोर्टिंग स्टाफ के वेतन, गैर-वेतन एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण पर होने वाले व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या- 4609, दिनांक- 04.10.2024 एवं 3374, दिनांक- 25.07.2025 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 5,000.00 लाख (रुपये पचास करोड़) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य स्कीम के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों के साथ सपोर्टिंग स्टाफ के वेतन, गैर-वेतन एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण पर होने वाले व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी-क, ख एवं ग संलग्न।

2. बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन का त्वरित गति से विकास आवश्यक है, क्योंकि इससे ग्रामीणों को सीधा लाभ होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान होगा। इसके लिए सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान को प्रयोगशाला से धरातल पर उतारने हेतु प्रख्यापित/अधिसूचित विश्वविद्यालय यथा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की स्थापना हेतु कुलपति एवं उनके अधीनस्थ अकादमिक-सह-प्रशासनिक पद एवं सपोर्टिंग स्टाफ के 218 पदों के सृजन की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय मूल राज्यादेश संख्या-3689, दिनांक-20.11.2017 के द्वारा प्रदान की गई है, जिसका विवरण वेतनमान एवं ग्रेड पे सहित निम्नवत है :-

Sl.no.	Designation	No. of Proposed Post	Pay Scale and Grad pay
ACADEMIC CUM ADMINISTRATIVE POSTS			
1	Vice-Chancellor	01	75000/- & SP 5000/-
2	Director Resident Instruction-cum-Dean PGS	01	37400-67000 + 10000 (GP)
3	Director Research	01	37400-67000 + 10000 (GP)
4	Director Ext. Education	01	37400-67000 + 10000 (GP)
5	Registrar	01	37400-67000 + 10000 (GP)
6	Comptroller	01	37400-67000 + 10000 (GP)
7	Student Welfare Officer Cum Placement Officer	01	37400-67000 + 10000 (GP)

8	Univ. Librarian Cum Information Officer	01	37400-67000 + 9000 (GP)
9	Dy. Registrar(Acad. Exam.Adm.& Recruit)	03	37400-67000 + 8700 (GP)
10	Dy. Director Resident Instruction	01	37400-67000 + 8700 (GP)
11	Dy. Director Research	03	37400-67000 + 8700 (GP)
12	Dy. Comptroller	02	37400-67000 + 8700 (GP)
13	Dy. Director (Training Information)	02	37400-67000 + 8700 (GP)
14	Sr. Instrumentation Officer (CIF)	01	37400-67000 + 8700 (GP)
15	Estate Officer	01	37400-67000 + 8700 (GP)
16	Sr. System Analyst	01	37400-67000 + 8700 (GP)
17	Director Works and Plant (DWP)	01	37400-67000 + 8700 (GP)
18	Dy. Librarian	01	15600-39100 + 7600 (GP)
19	System Analyst	01	15600-39100 + 7600 (GP)
20	Public Relations Officer	01	15600-39100 + 7600 (GP)
21	Dy. Estate Officer (Civil)	01	15600-39100 + 7600 (GP)
22	Dy. Estate Officer (Electrical /Mech)	01	15600-39100 + 7600 (GP)
23	Secretary to Vice-Chancellor	01	15600-39100 + 6600 (GP)
24	Central Purchase Officer	01	15600-39100 + 6600 (GP)
25	Asstt. Registrar (Acad. Exam & ADM Recruit)	04	15600-39100 + 5400 (GP)
26	Asstt. Comptroller (Operation, Plan & Budget, Central purchase, Farm Operation, Audit)	05	15600-39100 + 5400 (GP)
27	Assistant Librarian	02	15600-39100 + 5400 (GP)
28	Jr. Instrumentation Officer (CIF)	02	15600-39100 + 5400 (GP)
29	Asstt. Estate Officer (Civil)	02	15600-39100 + 5400 (GP)
30	Asstt. Estate Officer (Electrical/Mechanical)	01	15600-39100 + 5400 (GP)
31	Law Officer	01	15600-39100 + 5400 (GP)
32	Estate cum Security Officer	01	15600-39100 + 5400 (GP)
	<b>Total Academic/Administrative Post</b>	<b>48</b>	
<b>SUPPORTING STAFF</b>			
1	Security Officer	01	9300-34800 + 4600 (GP)
2	Accounts Asstt./Accounting Technician	25	9300-34800 + 4600 (GP)
3	Multy Task Office Asstt.	44	9300-34800 + 4600 (GP)
4	Section Officer Accounts	03	9300-34800 + 4600 (GP)
5	P.A	09	9300-34800 + 4600 (GP)
6	Jr. Engineer (Civil)	08	9300-34800 + 4600 (GP)
7	Jr. Engineer (Electrical)	04	9300-34800 + 4600 (GP)
8	Receptionist Care Taker	02	9300-34800 + 4200 (GP)
9	Security Supervisor	04	9300-34800 + 4200 (GP)
10	Artist	01	9300-34800 + 4200 (GP)
11	Electrician	03	5200-20200 + 2400 (GP)
12	Heavy Duty Vehicle Driver	02	5200-20200 + 2400 (GP)
13	Photographer	02	5200-20200 + 2000 (GP)
14	Mechanic	02	5200-20200 + 2000 (GP)
15	Light Vehicle Driver	06	5200-20200 + 2000 (GP)
16	Carpenter	01	5200-20200 + 2000 (GP)
17	Plumber	01	5200-20200 + 2000 (GP)
18	Multi Task Worker	52	5200-20200 + 1800 (GP)
	<b>Total Supporting Officer/Staff</b>	<b>170</b>	
	<b>Grand Total</b>	<b>218</b>	

3. साथ ही मत्स्य तकनीक से संबंधित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान को प्रयोगशाला से धरातल पर उतारने हेतु डा० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के परिसर में उपलब्ध संरचनाओं एवं भूखंड पर मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज की स्थापना की गई है तथा इस महाविद्यालय को कार्यरूप देने के लिए अकादमिक-प्रशासनिक पद एवं सपोर्टिंग स्टाफ के पद सहित 270 नये पदों का सृजन की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018-19 में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरान्त विभागीय मूल राज्यादेश संख्या-1954, दिनांक-19.06.2018 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, ताकि इस महाविद्यालय के द्वारा उच्च कोटि के मत्स्य शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण का कार्य किया जा सके। सृजित एवं स्वीकृत पदों का वेतनमान एवं ग्रेड पे सहित विवरण निम्न प्रकार है :-

Sl. No.	Designation	No. of Proposed Post	Pay Scale and Grad pay/Pay Band
<b>ACADEMIC CUM ADMINISTRATIVE POSTS</b>			
1	Dean	01	37400-67000 + 10000 (GP) UGC/PB-4
2	Professor	15	37400-67000 + 10000 (GP)
3	Associate Professor	27	37400-67000 + 9000 (GP)
4	Assistant Professor	42	15600-39100 + 6000 (GP)
<b>Total :-</b>		<b>85</b>	
<b>NON TEACHING &amp; SUPPORTING STAFF</b>			
5	Assistant Engineer	1	15600-39100 + 6600 (GP)
6	Student Welfare Officer	1	15600-39100 + 6600 (GP)
7	Assistant Librarian	1	15600-39100 + 6000 (GP)
8	Medical Officer	1	15600-39100 + 5400 (GP)
9	Assistant Comptroller	1	15600-39100 + 5400 (GP)
10	PS to Dean	1	9300-34800 + 4800 (GP)
11	Junior Engineer	1	9300-34800 + 4600 (GP)
12	Accountant	2	9300-34800 + 4600 (GP)
13	Multi Task Office Assistant	24	9300-34800 + 4200 (GP)
14	Library Assistant	1	9300-34800 + 4200 (GP)
15	Farm Manager	1	9300-34800 + 4200 (GP)
16	Hatchery Manager	2	5200-20200 + 4200 (GP)
17	IT Technician-cum-Website Manager	2	5200-20200 + 4200 (GP)
18	Lab Equipment Maintenance Technician	1	5200-20200 + 4200 (GP)
19	Wet Lab Supervisor	2	5200-20200 + 4200 (GP)
20	Cashier	1	5200-20200 + 2800 (GP)
21	Livestock/Farm/Lab Assistant	24	5200-20200 + 1900 (GP)
22	Audio Visual Technician-cum-Photographer	1	5200-20200 + 2400 (GP)
23	Physical Training Instructor (PTI)-cum-Hostel Care Taker	4	5200-20200 + 2400 (GP)
24	Plumber	2	5200-20200 + 2000 (GP)
25	Medical Lab Attendant	3	5200-20200 + 2000 (GP)
26	Carpenter	2	5200-20200 + 2000 (GP)
27	Clerk-cum-Storekeeper	3	5200-20200 + 1900 (GP)
28	Electrician	3	5200-20200 + 1900 (GP)
29	Compounder	1	5200-20200 + 1900 (GP)
30	Driver	6	5200-20200 + 1900 (GP)
31	Lab. Attendant	12	5200-20200 + 1900 (GP)
32	Pump Operator	3	5200-20200 + 1900 (GP)
33	Library Attendant	2	5200-20200 + 1800 (GP)
34	Security Guard	16	5200-20200 + 1800 (GP)
35	Multi Tasking Staff	50	5200-20200 + 1800 (GP)
36	Fisherman	10	5200-20200 + 1800 (GP)
<b>Total:- Non Teaching &amp; Supporting Staff</b>		<b>185</b>	
<b>Grand Total :-</b>		<b>270</b>	

4. वर्तमान में पशु विज्ञान, गव्य तकनीकी, मत्स्य विज्ञान एवं सहबद्ध विज्ञान से संबंधित जो भी संस्थान हैं वे कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जिनकी प्राथमिकता कृषि विज्ञान और उद्यान का विकास है। इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन से संबंधित विज्ञान एवं तकनीकी में अन्तराष्ट्रीय स्तर का शोध करने एवं विभिन्न शोधों को धरातल पर उतारने के लिए एक पृथक एवं अत्याधुनिक विश्वविद्यालय "बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2016" को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसका मुख्यालय, राज्य मुख्यालय अवस्थित बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का कैम्पस है जहाँ डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग एवं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का पर्याप्त भूखण्ड उपलब्ध है जिसमें नवगठित विश्वविद्यालय हेतु आकादमिक भवन, प्रशासनिक भवन, शोध संस्थान (गव्य, मत्स्य एवं पशुपालन से संबंधित) परीक्षा भवन, लाइब्रेरी भवन एवं अन्य भवनों का निर्माण, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से कराया जाना है। इस निर्माण

कार्य हेतु इस योजना में 0101.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में उपबंधित राशि कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को राशि उपलब्ध करायेंगे तथा विश्वविद्यालय में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि का भुगतान विषय शीर्ष-0101.31.04 –सहायक अनुदान-वेतन एवं अन्य विविध कार्यों के लिए विषय शीर्ष-0101.31.06 –सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि का उपयोग कुलपति द्वारा किया जायेगा, ताकि विश्वविद्यालय अपने मूर्त रूप को प्राप्त कर लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति कर सके।

5. वर्तमान में पशु विज्ञान, गव्य तकनीकी, मत्स्य विज्ञान एवं सहबद्ध विज्ञान से संबंधित जो भी संस्थान हैं वे कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हुये थे जिनकी प्राथमिकता कृषि विज्ञान और उद्यान का विकास है। इसी को दृष्टिपथ में रखते हुये बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधीन डा० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के परिसर में कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संरचनाओं यथा अकादमिक एवं प्रशासनिक भवन, होस्टल, छात्रावास भवन, आवासीय भवन एवं फार्म भवन तथा इसके अतिरिक्त तालाब के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये भूमि पर मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज को कृषि विभाग द्वारा अंतरित की गई है, जिसमें मत्स्य से संबंधित शोध एवं तकनीक का राज्य में विस्तार एवं प्रसार इस महाविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। इन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य में स्थापित “बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना” के अधीन डा० कलाम, कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के परिसर में “मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज” की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है।
6. मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज राज्य में मत्स्य विज्ञान से संबंधित शिक्षा अनुसंधान, विस्तार एवं प्रसार आदि का कार्य करेगा, ताकि राज्य में मात्स्यिकी से संबंधित सहबद्ध विज्ञान का विकास हो सके। यह महाविद्यालय “बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना” का अंगीभूत इकाई है।
7. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना, पूरे राज्य में पशु विज्ञान, पशुपालन, पशुचिकित्सा, गव्य तकनीकी, मत्स्य एवं सहबद्ध विज्ञानों के विकास के लिए शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार, प्रसार आदि का कार्य करेगा। वर्तमान में जो भी पशु विज्ञान/पशुचिकित्सा महाविद्यालय/गव्य तकनीकी महाविद्यालय/मत्स्य महाविद्यालय/शोध संस्थान जो कृषि विश्वविद्यालय के अधीन है, उन्हें प्राथमिकता के दृष्टिकोण से “बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2016” के नियम-50 एवं नियम-53 के अधीन परिशिष्ट-1 के अनुसार इस विश्वविद्यालय के अधीन अंगीकृत किया गया है।
8. वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत निम्नांकित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत व्यय का विकलन किया जायेगा :-
  - (i) मुख्य शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-03 –पशुपालन, लघुशीर्ष-277 –शिक्षा, मांग संख्या-02 –उपशीर्ष-0101 –बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 02-2415032770101.

(ii) मुख्य शीर्ष-2415 -कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-03 -पशुपालन, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या-02 -उपशीर्ष-0101 -बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 02-2415037890101

(iii) मुख्य शीर्ष-2415 -कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-03 -पशुपालन, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, माँग संख्या-02 -उपशीर्ष-0101 -बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 02-2415037960101. के तहत विभिन्न विषय शीर्षों यथा विषय शीर्ष-0101.31.04 -सहायक अनुदान-वेतन, विषय शीर्ष-0101.31.05-सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा विषय शीर्ष-0101.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

9. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना होंगे। साथ ही इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव होंगे।
10. इस स्कीम के तहत स्वीकृत राशि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के पी०एल० खाता में निदेशक, पशुपालन के द्वारा बी०टी०सी० फार्म-46 के माध्यम से एकमुश्त अंतरित किया जायेगा, ताकि विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत राशि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं मात्स्यकी महाविद्यालय, किशनगंज पर व्यय किया जा सके।
11. योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम में सन्निहित प्रावधान के आलोक में सृजित/स्वीकृत तथा नियुक्ति किये गये आकादमिक एवं प्रशासनिक पदों के साथ सपोर्टिंग स्टाफ के वेतनादि, आधारभूत संरचना का निर्माण तथा विश्वविद्यालय के विविध कार्यों पर होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा।
12. पूर्व में निर्गत राज्यादेश में अधिसूचित पदों के स्वीकृत वेतनमान में संशोधन के फलस्वरूप उनके वेतनादि का भुगतान भी तदनुसार सुनिश्चित किया जाय एवं अतिरिक्त राशि की वसूली भी तदनुसार की जाय।
13. कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना तथा निदेशक, पशुपालन का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम०-04-15/2009-9736 वि०-2, दिनांक-19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
14. पूर्व के वित्तीय वर्षों में स्वीकृत योजना के आलोक में विश्वविद्यालय को आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, पशुपालन, विश्वविद्यालय से प्राप्त कर ही इस वित्तीय वर्ष में राशि आवंटित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

15. चूँकि यह एक चालू योजना है। इसलिए बिहार कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली-2007 के चतुर्थ अनुसूची के नियम "क" उप नियम-4 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या-6A BASU(1)05/2026 के पृष्ठ-04/टि०, डायरी संख्या-1033 एवं दिनांक-27.04.2026.
16. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या-6A BASU(1)05/2026 के पृष्ठ-03/टि० तथा डायरी संख्या-256, दिनांक-21.04.2026.
17. वित्त विभागीय पत्र-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6A BASU(1)05/2026- / 2098 पटना-15, दिनांक- 04/5/2026.  
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6A BASU(1)05/2026- / 2098 पटना-15, दिनांक- 04/5/2026  
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6A BASU(1)05/2026- / 2098 पटना-15, दिनांक- 04/5/2026  
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6A BASU(1)05/2026- / 2098 पटना-15, दिनांक- 04/5/2026  
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित पशुपालन निदेशालय के लेखा शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6A BASU(1)05/2026- / 2098 पटना-15, दिनांक- 04 / 5 / 2026  
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित सभी विभागाध्यक्ष/सभी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलाधिपति के प्रधान सचिव/सभी आयोग के सचिव/विधान सभा/विधान परिषद् के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6A BASU(1)05/2026- / 2098 पटना-15, दिनांक- 04 / 5 / 2026  
प्रतिलिपि :- योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रति के साथ/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना प्रसार, बिहार, पटना/महालेखाकार, लेखा परीक्षा कार्यालय, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6A BASU(1)05/2026- / 2098 पटना-15, दिनांक- 04 / 05 / 2026  
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6A BASU(1)05/2026- / 2098 पटना-15, दिनांक- 04 / 05 / 2026  
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी-ग

वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं मात्स्यकी महाविद्यालय किशनगंज के लिए राज्य स्कीम के तहत वेतन, गैर वेतन एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :-

विपत्र कोड 02-2415037960101

(राशि रुपये करोड़ में)

क्र०सं०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1.	0101.31.04 -सहायक अनुदान-वेतन	0.50	सचिव/प्रधान सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन (नया सचिवालय) पटना
2.	0101.31.05 -सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों का निर्माण	0.10		
3.	0101.31.06 -सहायक अनुदान-गैर-वेतन	0.05		
योग :-		0.65		

कुल (पैंसठ लाख) मात्र।

क्र०सं०	व्यय का सारांश	(राशि करोड़ में)
(1)	व्यय विवरणी-क	41.35
(2)	व्यय विवरणी-ख	8.00
(3)	व्यय विवरणी-ग	0.65
योग :-		50.00

कुल (पचास करोड़) मात्र।

सरकार के संयुक्त सचिव

2098  
04/5/26

व्यय विवरणी-क

वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज के लिए राज्य स्कीम के तहत वेतन, गैर वेतन एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :-

विपत्र कोड 02-2415032770101

(राशि रुपये करोड़ में)

क्र०सं०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1.	0101.31.04 -सहायक अनुदान-वेतन	10.02	सचिव/प्रधान सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन (नया सचिवालय) पटना
2.	0101.31.05 -सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों का निर्माण	5.00		
3.	0101.31.06 -सहायक अनुदान-गैर-वेतन	26.33		
योग :-		41.35		

कुल (रुपये इकतालीस करोड़ पैतीस लाख) मात्र।

2098  
04/5/26

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी-ख

वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज के लिए राज्य स्कीम के तहत वेतन, गैर वेतन एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :-

विपत्र कोड 02-2415037890101

(राशि रुपये करोड़ में)

क्र०सं०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1.	0101.31.04 -सहायक अनुदान-वेतन	1.00	सचिव/प्रधान सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन (नया सचिवालय) पटना.
2.	0101.31.05 -सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों का निर्माण	1.70		
3.	0101.31.06 -सहायक अनुदान-गैर-वेतन	5.30		
योग :-		8.00		

कुल (आठ करोड़) मात्र।

2098  
04/3/26

सरकार के संयुक्त सचिव